तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **ओमाराम बंजारा बनाम लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 79/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.2022	अपीलार्थी ओमाराम बंजारा पुत्र मंगलाराम निवासी मु.पो. चोटिला, तहसील रोहिट, जिला पाली (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.01.2022 में उसके द्वारा (1) वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधि. में चयनित परिवारों के राशन कार्ड का जन आधार के साथ सिडींग/मिलान हेतु कार्यवाही की जाकर राशन की दुकानों पर फॉर्म भरवाया गया था, उक्त के संबंध में जो फॉर्म भरवाये जाकर जिस ईमित्र को इस ऑनलाइन सीडींग हेतु अधिकृत किया इस हेतु जारी निविदा सहित प्राप्त समस्त दस्तावेजों एवं सम्पूर्ण पत्रावली की प्रथम पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई [illegible] 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारण से [illegible] को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं [illegible] प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:11 IST
Reason: SelfAttested